परिपत्र सं. 03, 2026

फ. सं. 370142/46/2025-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टीपीएल प्रभाग)

******

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

विषय: आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची V [तालिका: क्र. सं. 7. नोट 5(क)(ii)(छ)] के अंतर्गत सॉवरन वैल्थ फंड की अधिसूचना- संबंधित

आयकर अधिनियम, 2025 (जिसे इसके आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची V [तालिका: क्र. सं. 7] को लाभांश, ब्याज, अधिनियम की धारा 92(2)(ट) में संदर्भित किसी राशि अथवा भारत में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश से उपार्जित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (चाहे ऐसे पूंजीगत लाभ को अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ प्रकल्पित किया गया हो या नहीं) के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ उसकी आय हेतु छूट देने के लिए प्रदान की गई है, यदि निवेश 01.04.2020 से 31.03.2030 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट आधारभूत संरचना व्यवसाय (जिसमें अधिसूचना फ. सं. 13/1/2025-IPP दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से अधिसूचित व्यवसाय, अर्थात् सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में निर्दिष्ट आधारभूत संरचना उप-क्षेत्र भी शामिल हैं) में किया गया हो और कम से कम तीन वर्षों तक धारित हो।

2. इस प्रयोजन हेतु 'निर्दिष्ट व्यक्ति' में अन्य बातों के साथ-साथ वह अधिसूचित सॉवरन वैल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ) भी शामिल है, जो अनुसूची [तालिका: क्र. सं. 7. नोट 5(क)] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हो।

3. एसडब्ल्यूएफ की अधिसूचना की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, बोर्ड, अधिनियम की धारा 239 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि एसडब्ल्यूएफ को इस परिपत्र के अनुलग्नक में प्रपत्र I में आवेदन दाखिल करना होगा। प्रपत्र I को सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को दाखिल किया जाएगा, जिनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण में विदेशी कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग का कार्य आता है।

4. इसके अतिरिक्त, अधिसूचित एसडब्ल्यूएफ को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ आय की विवरणी दाखिल करनी होगी। उसे इस परिपत्र के अनुलग्नक में तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में प्रपत्र II में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तिमाही के समाप्त होने के एक महीने के भीतर त्रैमासिक विवरण भी दाखिल करना होगा।

5. एसडब्ल्यूएफ द्वारा प्रपत्र I और प्रपत्र II दाखिल करने की अनिवार्यता निम्नानुसार होगी:

5.1 श्रेणी I: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23चङ) के अंतर्गत पहले से अधिसूचित एसडब्ल्यूएफ

5.1.1 जो एसडब्ल्यूएफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23चङ) के अंतर्गत पहले से अधिसूचित हो चुकी हैं, उन्हें अनुच्छेद 3 में उपबंधित प्रपत्र I में नया आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐसी अधिसूचित निधियों को तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में अनुच्छेद 4 में उपबंधित प्रपत्र II में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तिमाही के समाप्त होने के एक महीने के भीतर त्रैमासिक विवरण दाखिल करना होगा।

5.2 श्रेणी II: अधिनियम की अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.नोट 5(क)(ii)(छ)] के अंतर्गत नई अधिसूचना चाहने वाली एसडब्ल्यूएफ

5.2.1 अधिनियम की अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.नोट 5(क)(ii)(छ)] के अंतर्गत नई अधिसूचना चाहने वाली एसडब्ल्यूएफ को अनुच्छेद 3 में उपबंधित प्रपत्र I में आवेदन दाखिल करना होगा और ऐसी अधिसूचित निधियों को तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पैरा 4 में उपबंधित प्रपत्र II में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तिमाही के समाप्त होने के एक महीने के भीतर त्रैमासिक विवरण दाखिल करना होगा।

6. आयकर महानिदेशक (पद्धति), प्रपत्र I और प्रपत्र II को प्रस्तुत करने एवं सत्यापन हेतु डेटा संरचना, मानकों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करेंगे तथा इस प्रकार प्रस्तुत किए गए उक्त प्रपत्रों के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखागार और पुनर्प्राप्ति नीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

7. यह परिपत्र 01.04.2026 से प्रभावी होगा और कर वर्ष 2026-27 तथा बाद के कर वर्षों पर लागू होगा।

संलग्नक: अनुलग्नक

(रोहित सिंह)

अवर सचिव (टीपीएल)

सीबीडीटी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

1. वित्त मंत्री के पीएस/ओएसडी / वित्त राज्य मंत्री के पीएस/ओएसडी
2. वित्त सचिव के निजी सचिव
3. राजस्व सचिव के निजी सचिव
4. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी
5. संयुक्त सचिव / आयकर आयुक्त / निदेशक / उप सचिव / अवर सचिव, सीबीडीटी
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (30 प्रतियां)
7. संयुक्त सचिव एवं कानूनी सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान।
9. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

10. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(रोहित सिंह)

अवर सचिव (टीपीएल-I)

सीबीडीटी, नई दिल्ली

अनुलग्नक

प्रपत्र I

अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.नोट 5(क)(ii)(छ)] के अंतर्गत अधिसूचना हेतु आवेदन

(सॉवरन वैल्थ फंड)

भाग क : सॉवरन वैल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ) का विवरण			
1.	नाम:	(नोट 1 देखें)	
2.	पता:	(नोट 2 देखें)	
3.	भारत में संपर्क पता:	(नोट 3 देखें)	
4.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
5.	कर पहचान संख्या (टैन):	(नोट 4 देखें)	
6.	निवास का देश:		
7.	कानून के अंतर्गत स्थापित (कृपया विदेशी देश का नाम निर्दिष्ट करें)		
8.	ई-मेल आईडी:		
9.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या
10.	अन्य विवरण पृथक संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे:	(नोट 5 के अनुसार संलग्न करें)	

भाग 'ख' : प्रमाणन
आवेदक एक एसडब्ल्यूएफ है और अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7] के अनुसार निवेश करने में रुचि रखता/रखती है, अतः अनुरोध है कि आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए। एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि एसडब्ल्यूएफ, अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7 और क्र.सं. 7.नोट 5(क)(ii)] में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करती है।

सत्यापन
मैं, ___________, एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य नहीं छुपाया है। मैं यह आवेदन ___________ (पदनाम) की हैसियत से प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ, पैन ___________ धारण करते हुए और मैं इस आवेदन को सत्यापित और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तिथि: नाम:

पदनाम:

टिप्पणियाँ:

1. नाम में सॉवरन वैल्थ फंड का पूरा नाम शामिल होगा।

2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/स्थान, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/जिप कोड शामिल होंगे।

3. भारत में संपर्क पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/स्थान, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड शामिल होंगे।

4. सॉवरन वैल्थ फंड की कर पहचान संख्या उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की होगी जहाँ वह निवासी है और यदि ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, तो वह विशिष्ट संख्या होगी जिसके आधार पर उस देश की सरकार या निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करती है, उसे पहचानती है।

5. भाग क (क्र. सं. 10) के संबंध में, निम्नलिखित विवरण अनुलग्नक के रूप में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

अनुलग्नक	विवरण
क-1	एसडब्ल्यूएफ का गठन करने वाले दस्तावेज और संशोधन (यदि कोई हो)
क-2	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

6. इस प्रपत्र में आवेदन सदस्य (विदेशी कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखने वाले), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को किया जाना है।

7. यह प्रपत्र धारा 265 के अंतर्गत आय की विवरणी को सत्यापित करने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा

8. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरी होगी।

प्रपत्र II

अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7] के अंतर्गत सॉवरन वैल्थ फंड द्वारा सूचना

(वित्त वर्ष की 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर)

भाग क: सॉवरन वैल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ) का विवरण			
1.	नाम:	(नोट 1 देखें)	
2.	पता:	(नोट 2 देखें)	
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन):		
4.	ई-मेल आईडी:		
5.	संपर्क संख्या:	देश कोड	संख्या

भाग ख: अन्य विवरण		
6.	अधिसूचना संख्या:	
7.	अधिसूचना तिथि:	
8.	वित्त वर्ष :	
9.	तिमाही समाप्ति:	(नोट 3 देखें)

भाग ग: निवेश का विवरण							
क्र. सं.	निवेश की तिथि	राशि	निवेश की प्रकृति (नोट 4 देखें)	आय की प्रकृति (नोट 5 देखें)	जिस इकाई में निवेश किया गया है उसका विवरण		
					इकाई की प्रकृति (नोट 6 देखें)	नाम	पैन
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज
1.							
2.	*(आवश्यकतानुसार दोहराएं)*						
कुल							

सत्यापन
मैं, ____________, सशपथ पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रपत्र में दी गई

जानकारी सत्य और पूर्ण है और उसमें दर्शाए गए विवरण वास्तविक रूप से सही हैं। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई भी प्रासंगिक तथ्य या जानकारी नहीं छुपाई है।

मैं यह सूचना ___________ (पदनाम) की हैसियत से प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ और मेरे पास पैन ___________ है और मैं इस सूचना को सत्यापित और प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तिथि: नाम:

पदनाम:

टिप्पणियाँ:

1. नाम में सॉवरन वैल्थ फंड का पूरा नाम शामिल होगा।

2. पते में फ्लैट/द्वार/भवन, सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, क्षेत्र/स्थान, डाकघर, शहर/नगर/जिला, राज्य, देश/क्षेत्र और पिन कोड/जिप कोड शामिल होंगे

3. भाग ख (क्र.सं. 9) में, 30 जून / 30 सितंबर / 31 दिसंबर / 31 मार्च भरें।

4. भाग ग (कॉलम घ) में, निम्नलिखित कोड में से एक का चयन किया जाना है:

निवेश की प्रकृति	कोड
ऋण	1
इक्विटी	2
अधिमान शेयर	3
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	4

5. भाग ग (कॉलम ङ) में, निम्नलिखित कोड में से एक का चयन किया जाना है:

आय की प्रकृति	कोड
ब्याज	1
लाभांश	2
पूंजीगत लाभ	3
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	4

6. भाग ग (कॉलम च) में, निम्नलिखित कोड में से एक का चयन किया जाना है:

जिस इकाई में निवेश किया गया है उसकी प्रकृति	कोड
व्यापारिक न्यास जो अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.घ(क)(iii)(क)] में संदर्भित है	1
पात्र आधारभूत संरचना सुविधा जो अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.घ(क)(iii)(ख)] में संदर्भित है	2
पात्र वैकल्पिक निवेश निधि जो अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.घ(क)(iii)(ग)] में संदर्भित है	3
पात्र घरेलू कंपनी जो अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.घ(क)(iii)(घ)] में संदर्भित है	4

पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो अनुसूची V [तालिका: क्र.सं. 7.घ(क)(iii)(ङ)] में संदर्भित है	5

7. यह प्रपत्र धारा 265 के अंतर्गत आय की विवरणी को सत्यापित करने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

8. प्रपत्र में कुछ जानकारी यथासंभव पूर्व-भरी होगी।

9. इस प्रपत्र में निर्दिष्ट राशि रुपयों में भरी जाएगी, जब तक अन्यथा न कहा गया हो।